पेंशन अदालत 2021

दिनांक 15.12.2021

पूर्व मध्य रेल/धनबाद मंडल

रेलवे बोर्ड के निर्देषानुसार प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय/धनबाद, माननीय मंडल रेल प्रबंधक, श्री आशीष बंसल के दिशानिर्देशन में **video conferencing google meet** द्वारा पेंशन अदालत–2021 का आयोजन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक, श्री आशीष बंसल के दिशानिर्देशन में आयोजित इस पेंशन अदालत का उद्देश्य पेंशन एवं परिवारिक पेंशन भोगियों की विभिन्न शिकायतों, यथा–अनुदान राशि, वेतन निर्धारण की विसंगतियों से उत्पन्न पेंशन संबंधी शिकायतें एवं अन्य मुद्दों का न्यायोचित निष्पादन करना है। पेंशन अदालत के आयोजन का व्यापक प्रचार–प्रसार प्रतिनिधि समाचार पत्रों द्वारा किया गया। आवेदन देने के अंतिम तिथि 31.10.2021 निर्धारित की गई थी। इस वर्ष के पेंशन अदालत हेतु कुल 19 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 18 मामले पेंशन अदालत से संबंधित पाए गए । जिनमें 01 मामले भुगतान हेतु पाए गए जिनका भुगतान पेंशन एवं परिवारिक पेंशन भोगियों के पक्ष में किया गया। 09 मामले पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के संशोधन से संबंधित थे जिनका नियमानुसार संशोधन कर सूचित किया गया, 03 मामले अविवाहित/विधवा पुत्री पारिवारिक पेंशन के संबंध में एवं 05 अन्य मामले से संबंधित थे। 01 मामलें पेंशन अदालत की परिधि के बाहर के थे जिसे जॉचकर संबंधित आवेदक को पत्र द्वारा जबाव दिया गया। इस प्रकार पेंशन अदालत 2021 में प्राप्त सभी मामलों का नियमानुसार निष्पादन किया गया।

पेंशन अदालत 2021 में प्राप्त संपूर्ण मामलो की छानबीन संबंधित सेवा–पुस्तिकाओं एवं अन्य कागजात के आधार पर नियमों के आलोक में किया गया । वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी, श्री जय प्रकाश सिंह एवं वरीय मंडल वित प्रबंधक, श्री मधुसूदनन टी.वी. के नेतृत्व में कार्मिक एवं लेखा विभाग के अधिकारियों, अंतिम निपटारा अनुभाग के कर्मियों एवं कल्याण निरीक्षकों के संयुक्त दल ने प्रत्येक मामले पर गंभीरता पूर्वक एवं नियमानुसार विचार किया।

तर्कसंगत व रक्षणीय मामलों की समीचीन समीक्षा के उपरांत कुल रू. 5,06,953/– का भुगतान RTGS के द्वारा 01 सेवा निवृत कर्मचारी के पक्ष में किया गया। इस अवसर पर पेंशन एवं परिवारिक पेंशन भोगियों ने **video conferencing google meet** द्वारा शिरकत की। इस अदालत में श्री टाइटस इक्का, सहायक मंडल वित प्रबंधक एवं श्री नीरज कुमार, सहायक कार्मिक अधिकारी ने पेंशन अदालत की कार्यवाही का संचालन किया।